रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 1988/कार्तिक 5, 1910
No. 548] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 1988/KARTIKA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1988

अधिसूचना

का. आ. 987(अ).— संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति का, उपांतरणों सहित, यदि कोई उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, और आगे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, सिक्किम राज्य पर विस्तार करते है, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिनियमिति में किसी ऐसी विधि, जो सिक्किम राज्य में प्रवृत्त नहीं है या किसी ऐसे कृत्यकारी जो इस राज्य में विद्यमान नहीं हैं, के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या विद्यमान तत्स्थानी कृत्यकारी के प्रति निर्देश है :

परन्तु यह कि यदि यह प्रश्न उठता है कि ऐसी तत्स्थानी कृत्यकारी कौन हैं, या यदि कोई ऐसा तत्स्थानी कृत्यकारी नहीं हैं, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चय करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिनियमिति के प्रारंभ के लिए उसका मुसंगत उपबंध, यदि कोई हैं, में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अधिनियमिति के उपबंध सिक्किम राज्य में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि किसी अधिनियमिति के विभिन्न उपबंधों के लिए और सिक्किम राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और अधिनियमन के बारे में किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के उस क्षेत्र में, जहां उसे प्रवृत्त किया गया है, प्रवृत्त करने के प्रति निर्देश है ।

अनुसूची

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	उपांतरण
1944	18	लोक ऋण अधिनियम, 1944	—

(आर. वेंकटरामन)
राष्ट्रपति

[सं. 11013/12/87 एन ई -III]
आर के टंडन, उप सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd October, 1988

NOTIFICATION

S.O.987(E). —In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactment specified in the Schedule annexed hereto subject to the modifications, if any, specified in that Schedule and the following further modifications, namely : —

(1) Any reference in the said enactment to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existance. in that State:

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of such enactment for the commencement thereof, the provisions of such enactment shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the enactment and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

SCHEDULE

Year	No.	Short Title	Modification
1944	18	Public Debts Act, 1944	—

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT

[No. 11013/12/87-NE.III]
R.K. TANDAN, Dy. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988